राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1–सी/विविध/2016/ 457 दिनांकः– 31-5-2016

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि निगम कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार सदस्यों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपूर्ण ही मुख्यालय को अग्रेषित कर दिये जाते हैं, जिससे अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही/औपचारिकताऐं पूर्ण कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने संबंधी प्रकरणों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु आदेश क्रमांक 925 दिनांक 27.04.2011 तथा आदेशांक 220 दिनांक 14.03.2016 द्वारा आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/ नियंत्रण अधिकारी स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। उक्त आदेशों में वर्णित प्रावधानानुसार प्रकरण का परीक्षण आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी स्तर पर निस्तारण नहीं किया जाता है।

अतः समस्त मुख्य प्रबन्धकों, मुख्य उत्पादन प्रबन्धकों तथा नियंत्रण अधिकारियों को पुनः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

1. आदेशांक 220 दिनांक 14.03.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों के तहत आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/नियंत्रण अधिकारी के स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के परीक्षण के उपरान्त आश्रित के निर्धारित पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखने पर उसका आवेदन पत्र नियमानुसार खारिज करते हुये आगार स्तर पर ही अविलम्ब आश्रित को सूचित किया जावे तथा पत्र की प्रति आवश्यक रूप से मुख्यालय को भी प्रेषित की जावे।
2. आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/ईकाई स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से कमेटी द्वारा परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने वाले आवेदन पत्रों में अनुकम्पा नियुक्ति विनियम–2010 तथा समय–समय पर जारी आदेशों में वर्णित प्रावधानानुसार औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आगार कार्यालय/केन्द्रीय कार्यशाला/ईकाई स्तर पर नियुक्त प्रबन्धक (प्रशासन) व्यक्तिशः मृतक कर्मचारी के निवास स्थान पर जाकर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की औपचारिकताओं की पूर्ति अविलम्ब कराते हुए आगारीय कमेटी की चैकलिस्ट/अनुशंसा आदि सहित पूर्ण पत्रावली मुख्यालय को प्रेषित करावेंगे।

सभी मुख्य प्रबन्धक/मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/नियंत्रण अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः मुख्या./कार्मिक/1–सी/विविध/2016/ 457 दिनांकः– 31-5-2016

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष—————————रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त महा प्रबन्धक———— ———— रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक——————रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर।
6. उप महाप्रबन्धक (आई.टी.), रापनि, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति निगम वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला————————
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (प्रशासन), रापनि————————————————आगार।
10. आदेश पत्रावली।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)